राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक-एफ-1(2)ग्रावि/नरेगा/मा.द./पार्ट-IV/2010 जयपुर, दिनांक : 12 JUL 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना,
समस्त(राजस्थान)।

विषयः- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यो के समय के संबंध में।
प्रसंगः- इस विभाग का समसंख्यक पत्र दिनांक 25.06.2011

महोदय,

उपरोक्त प्रासांगिक विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम, 2005 की अनुसूची-I के पैरा-8 के अनुसार नरेगा कार्य की समयावधि 9 घंटे निर्धारित है, जिसमें एक घण्टे का भोजनावकाश भी सम्मिलित है।

समसंख्यक पत्र द्वारा कार्यो का समय प्रातः 9 बजे से सांय 6 बजे निर्धारित किया गया था। इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि स्थानीय परिस्थितियों के अनुसार कार्यो का समय परिवर्तित किया जा सकता है, परंतु कार्य की समयावधि (Time Slot) 9 घंटे ही रखा जावे।

यह भी स्पष्ट किया जाता है जो समूह निर्धारित समयावधि से पूर्व अपना कार्य पूर्ण कर लेता है तो अकुशल श्रमिकों की मस्टररोल के पृष्ठ भाग के कॉलम संख्या-9 में कार्य स्थल छोड़ने का समय मेट द्वारा अंकित करने के पश्चात एवं उस समूह के प्रतिनिधि के हस्ताक्षर मस्टररोल पर करने के उपरांत वह समूह कार्य स्थल छोड़ सकता है।

भवदीय,

(सी.एस.राजन)
अतिरिक्त मुख्य सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतुः-

1. निजी सचिव, माननीय मंत्री, ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज विभाग।
2. उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय।
3. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव,ग्रामीण विकास एवं पंचा. राज विभाग,जयपुर।
4. निजी सचिव, संभागीय आयुत, समस्त(राजस्थान)।
5. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम/द्वितीय (मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी) जिला परिषद समस्त(राजस्थान)।
6. रक्षित पत्रावली।

12/7/11

परि.निदे. एवं पदेन उप सचिव,ईजीएस